

लीज तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु वांछित भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रस्तावित वन भूमि केवल प्रस्ताव के अनुसार 0.049748 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि, बदायूँ कादरचौक गंगापुर मार्ग के किमी 0.1 के चैनेज- 0.765 गाटा संख्या 282 के बायीं ओर ग्राम शेखूपुर, तहसील व जिला बदायूँ पर आवश्यक है।

प्रति हस्तक्षेप
(21 नवंबर 2018)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बदायूँ।

(क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ
(विपिन कुमार मरहठ)

इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०

राजीव टंडन
प्रबन्धक (रिडेल गैलरी)
इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० (एन०डी०)
मुरादाबाद मंडल का निदेश
कोल्ड स्टोरेज के लिये 24 फीट चौक का भूखंड